"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी 2012—माघ 20, शक 1933

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2012

आदेश

क्रमांक/पंचा/04/73/2012/54.—राज्य के ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सुर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय महत्व एवं तात्कालिक आवश्यकता के छोटे-छोटे विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए "छ.ग. राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण" का गठन किया जाता है. प्राधिकरण के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप निम्नानुसार होंगे :—

1. **उद्देश्य** :— प्राधिकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :—

   (1) ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना.

   (2) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व से सलाह प्राप्त कर अल्पकालिक योजनाओं का निर्माण.

   (3) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में सम्मिलित एवं समकक्ष कार्यों को छोड़कर शेष छोटे-छोटे विकास कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन.

   (4) ग्रामीण क्षेत्रों के क्षेत्रीय/ढांचागत विकास, ताकि यह क्षेत्र भी विकास के मामले में कस्बों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के स्तर तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सके.

2. **प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र** :— छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को छोड़कर समस्त ग्रामीण क्षेत्र व नगर पंचायतों के क्षेत्र शामिल होंगे.

3. **गठन :—** प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार होगा :—

(1)	माननीय मुख्यमंत्री	-	अध्यक्ष
(2)	राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्री गण	-	सदस्य
(3)	प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आने वाले संसदीय क्षेत्रों के सांसद	-	सदस्य
(4)	प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आने वाले निर्वाचित विधायक	-	सदस्य
(5)	संबंधित जिलों के जिला पंचायत-अध्यक्ष	-	सदस्य
(6)	मुख्य सचिव	-	सदस्य
(7)	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(8)	माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव	-	सदस्य-सचिव

प्राधिकरण अपनी बैठकों में नियमित रूप से या विशेष रूप से किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा.

4. **प्राधिकरण की बैठक :—** प्राधिकरण की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार पूर्व निर्धारित तिथि पर होगी. बैठक के स्थल, दिन, समय एवं चर्चा के बिन्दुओं (एजेण्डा) की संसूचना प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को सदस्य-सचिव द्वारा निर्धारित तिथि के कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावेगी. बैठक में लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों से सभी सदस्यों को बैठक की कार्यवाही विवरण के माध्यम से अवगत कराया जावेगा.

5. **प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियां :—**

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अल्पकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठायेगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा.

(2) प्राधिकरण को योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और उनके अनकुलतम उपयोग के लिए संबंधित विभाग को दिशानिर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा. संबंधित विभाग तदनुसार योजनाओं का बजट में समावेश कर बजट आवंटन उपलब्ध करायेंगे.

(3) प्राधिकरण राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अनाबद्ध राशि (अन्टाईड फण्ड) का आवंटन, उन प्रयोजनों के लिए जिनकी क्षेत्र में नितांत आवश्ययकता हो, किए जाने का निर्णय ले सकेगा.

(4) अन्य ऐसे समस्त कार्य संपादित करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों.

6. **प्राधिकरण के आदेशों का क्रियान्वयन :—** प्राधिकरण के द्वारा लिये गये निर्णयों, जारी आदेश एवं निर्देश प्राधिकरण के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे तथा सर्व संबंधितों द्वारा उनका पालन सुनिश्चित किया जावेगा.

7. **प्राधिकरण की निधि एवं नियम :—**

(अ) **निधि :—**

(1) प्राधिकरण को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष रुपये 50 करोड़ या इससे अधिक विकल्प राशि उपलब्ध कराई जावेगी, जिसका उपयोग प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकेगा.

(2) प्राधिकरण को उक्त राशि से आवश्यकतानुसार कार्यों पर व्यय स्वीकृति करने का अधिकार होगा.

(ब) **निधि उपयोग नियम :—** प्राधिकरण अपनी निधि के उपयोग के लिए निधि नियम तैयार कर निधि का उपयोग इस नियम के अंतर्गत करेगा.

8. **प्राधिकरण के निर्णयों का क्रियान्वयन :—** प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय, दिये गये आदेश तथा निर्देशों आदि का अनुपालन एवं क्रियान्वयन जिला कलेक्टर्स संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से करेंगे.

कलेक्टर्स का यह भी दायित्व होगा कि प्राधिकरण के निर्णय तथा स्वीकृत कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा नियमित रूप से करें.

9. **स्वीकृत कार्यों का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण :—** प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का मूल्यांकन/पर्यवेक्षण आंतरिक एवं बाह्य एजेंसी से करवाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा. इस हेतु जिला स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण दल का गठन भी किया जाए. मूल्यांकन प्रपत्रों को जिला स्तर पर रखा जाएगा. इन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा पर्यवेक्षण/मूल्यांकन का त्रैमासिक प्रतिवेदन, संचालक, पंचायत विभाग एवं प्राधिकरण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.